(1)

(64)

न्यायालय में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

निगरानी-4212/2018/अनूपपुर/भू.रा.

मन बहोर पटेल पिता जमुना पटेल निवासी ग्राम-कोदैली, तहसील-अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

चैती बाई भरिया पति रामसुमेर भरिया निवासी ग्राम-कोदैली, तहसील-अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म0प्र0) ....गैरनिगरानीकर्ता

प्रदीप श्रीवास्तव एडवो. 6-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-7-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-7-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Shrivastav प्रदीप श्रीवास्तव एडवोकेट 6-7-18

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार महोदय अनूपपुर वृत्त फुनगा के रा0प्र0क0-20/अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2017

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0सं0-1959

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि:-

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम-कोदैली, प0ह0-खाड़ा, रा0नि0मं0-फुनगा, तहसील व जिला-अनूपपुर म0प्र0 स्थित आ0ख0नं0-681/24 रकबा 1.011 हे0 भूमि निगरानीकर्ता के स्वामित्व पट्टे, कब्जे दखल व मालिकाना अधिकार की आराजी है।

2. यह कि निगरानीकर्ता के उक्त आराजी के समीप गैरनिगरानीकर्ता की भूमि ख0नं0 681 रकबा 1.214 हे0 भूमि है, जिसके संबंध में गैरनिगरानीकर्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल फुनगा से अपनी भूमि का नक्शा तर्मीम की कार्यवाही दिनांक 06.06.2017 को करायी गयी थी, जो निगरानीकर्ता मूल नंबर का बटांक भूमि स्वामी है, जिसे बिना किसी सम्मन व सूचना दिये बगैर ही तथा न ही नोटिस की तामीली की गयी, उक्त नक्शा तर्मीम की कार्यवाही करायी गयी है, जिसे नायब तहसीलदार महोदय वृत्त फुनगा तहसील अनूपपुर, जिला-अनूपपुर म0प्र0 के द्वारा दिनांक 17.07.2017 को

//2//

म0 बहोर पटेल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4212/2018/ अनूपपुर/भू.रा. मन बहोर विरूद्ध चैतीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक मन बहोर की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार अनूपपुर वृत्त फुगना के प्रकरण क्रमांक 20/अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

29.x.18

1/2

4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

29/x/18

(आर.के. जैन)
सदस्य